Integrated Pest Management Technology for Tobacco cultivation

4063. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the CTRI, Rajahmundry, has developed Integrated Pest Management Technology for Tobacco cultivation;

(b) if so, whether the new methods have been propagated in West Godavari District in Andhra Pradesh; and

(c) the outcome of such efforts amongst tobacco famrers in the said district?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) Yes, Sir. Central Tobacco Research Institute (CTRI) has developed Integrated Pest Management (IPM) Technology for major pests of tobacco.

(b) Integrated Pest Management (IPM) in tobacco is being propogated in West Godavari District by conducting on-farm demonstrations and educating the farmers at farmers' mectings organised by the CTRI in collaboration with Tobacco Board, Andhra Pradesh State Department of Agriculture and other State agencies. The technology is also being popularised through mass media such as Radio, TV, Newspaper and distribution of pamphlets in Telugu.

(c) The IPM Technology has been well received by the tobacco farmers and is becoming popular in West Godavari District. Farmers are also convinced about the profitability of IPM approach. Inputs such as Nuclear Polyhydrosis Virus (NPV), Neem Seed Kernal suspension, castor seed etc. which are the components of the IPM are being provided by CTRI.

Press reports regarding the Principal R.E.C., Silchar

4064. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the consistent adverse press reports about the functioning of the Regional Engineering College, Silchar; and

(b) if so, what steps Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Yes, Sir.

(b) The Regional Engineering College, Silchar is managed by a Board of Governors, with Minister for Higher Education, Government of Assam as its Chairman and representatives of the State and Central Government, industry experts and other eminent persons. Such matters primarily fall under the purview of the Board of Governors who have taken cognisance of this.

कृषकों के लिए रियायतें तथा सहायता

4065. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषकों को दी जा रही रियायतों और सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितनी धनराशि की ऐसी रियायतें और सहायता उपलब्ध करायी गई;

(ग) क्या सरकार इस धनराशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) किसानों को उर्वरकों, बिजली सिंचाई जैसे आदान मूल्यों तथा ऋण के माध्यम से राजसहायता दी जाती है। इसके

अलावा योजनागत स्कीमों के माध्यम से विभिन्न रियायतें, प्रोत्साहन और बीज मिनीकिटों, मशीन टूलों, पौध संरक्षण, मृदा संरक्षण और प्रशिक्षण आदि के रूप में सहायता भी दी जाती है। किसानों को, बाजार मूल्यों में गिरावट आने पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों के माध्यम से, मूल्य समर्थन भी दिया जाता है।

(ख) कृषि क्षेत्र में उर्वरकों बिजली तथा सिंचाई के लिए दी गई प्रमुख आदान सबसिडी की राशि अनुबन्ध में दी गई है।

(ग) और (घ) उर्वरकों पर रियायत की राशि में हाल ही में 6.7.96 से वृद्धि की गई है जो निम्नवत है:—

(रू० प्रति मी० टन)

उत्पाद	6.7.96 से पूर्व रियायत	6.7.96 से रियायत
1. डी०ए०पी० (स्वदेशी)	1000	3000
2. डी०ए०पी० (आयातित)	—	1500
3. एम०ओ०पी०	1000	1500
4. एस०एस०पी०	340	500
5. मिश्रित उर्वरक (स्वदेशी)	435 से 999	1304 से 2633

कृषि क्षेत्र को प्रमुख सबसिडी का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

मद	1992-93 (वास्तविक)	1993-94 (वास्तविक)	1994-95 (वास्तविक)	1995-96* (संशोधित अनुमान)	1996-97* बजट अनुमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आदानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को सबसिडी					
1. उर्वरक (कुल)	5796	4562	5772	6735	8372
1.1 स्वदेशी उर्वरक	4800	3800	4075	4300	4500
1.2 आयातित उर्वरक	996	762	1166	1935	1648
1.3 किसानों को रियायत सहित विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री	—	—	531	500	2224
2. बिजली**	1927	2408	उ०न०	उ०न०	उ०न०
3. सिंचाई***	5235	5945	6828†	उ०न०	उ०न०

टिप्पणी:—उ०न० उपलब्ध नहीं क्योंकि इनकी व्यवस्था राज्य बजटों में की जाती है।

** बिजली में बिजली बोर्डों और निगमों को दी गई सभी सब्सिडियां शामिल हैं। बिजली पर सबसिडी के अलग अनुमान, जो केवल कृषि क्षेत्र के लिए लेखा देय हो, उपलब्ध नहीं है।

*** नीति के अनुसार किसानों के लिए पानी की सप्लाई के लिए दरें नीची रखी जाती हैं जिसके परिणामतः सरकार की सिंचाई प्रणाली को नुकसान होता है। सकल राजस्व से अधिक के प्रचालन लागत को आरोप्य सिंचाई सब्सिडी माना जाता है।

† तुरन्त अनुमान।

* केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित बजट प्राक्कलन।